

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-436ए) अलेसे- I/1043

दिनांक:- 30/08/22

श्री मथुरा लाल मीणा,
सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I,
मुख्य अभियंता, जन संसधान विभाग,
कोटा।

कारण बताओ नोटिस

विषय:- निदेशालय के अतिरिक्त कार्यादेश की पालना करने बाबत।
संदर्भ:- निदेशालय के आदेश क्रमांक 1302 दिनांक 10.02.2022

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित आदेश के द्वारा आपको अपने वर्तमान पद के कार्य के साथ-साथ कार्यालय सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा के सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I। के रिक्त पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित किया गया था एवं आपको निदेशालय द्वारा कारण बताओ नोटिस क्रमांक 309-10 दिनांक 20.05.2022 दिये जाने उपरांत भी आप द्वारा आदिनांक तक लगभग 6 महीने पश्चात् भी अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, जो कि गम्भीर लापरवाही एवं राजकीय आदेशों की स्पष्ट अवहेलना है।

अतः उक्त के संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण 3 दिवस में प्रस्तुत करें कि क्यों नहीं आपको राजकीय आदेशों की अवहेलना करने के लिए आपके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (सीसीए) नियम 1958 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जावे।



(धीरज सिसोदिया)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)

क्रमांक:- एफ.2 (क) (एम-436ए) अलेसे- I/1044-1047

दिनांक:- 30/08/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. मुख्य अभियंता, जन संसधान विभाग, कोटा।
2. सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग, कोटा।
3. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
4. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-I)